रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1514] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2015/आषाढ़ 25, 1937
No. 1514] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2015/ASHADHA 25, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

का.आ. 1939(अ).—यत:, मै. यू.पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम कजेंहरा एवं मस्तेमऊ, चक गंजरिया फार्म, सुल्तानपुर रोड़, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 3918(अ) दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 40.469 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. यू.पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 40.469 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 25 जून, 2015 के पत्र सं. 723/78-1-201551आई.टी/2014 टी.सी के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत;, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है ।

[फा. स. एफ.1/2/2013-एसईजेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

S.O. 1939(E).—Whereas, M/s U.P. Electronics Corporation Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and electronics at village Kejehra and Mastemau, Chuck Gajaria Farm, Sultanpur Road, Lucknow, in the State of Uttar Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 40.469 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 3918(E) dated 26th December, 2013;

And, whereas, M/s U.P. Electronics Corporation limited has proposed to de-notify the entire area of 40.469 hectares of the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Uttar Pradesh has given its “No Objection” to the proposal vide letter no. 723/78-1-201551I.T/2014T.C dated 25th June, 2015.

And, whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 40.469 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/2/2013-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.